न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 23/2021 बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार
पुत्र श्री सुन्दर लाल गुप्ता ग्राम व पोस्ट बहरावण्डा खुर्द, तहसील खण्डार

GCMS No-2021/63

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
22.6.2021	लोक डाउन के कारण पत्रावली आज पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत दिनांक 24.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. खसरा नम्बर 777/1, गैर मु. मरघट मे निवर्तमान सरपंच ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है जिसकी भौतिक सत्यता की जानकारी की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ.()2020/701 दिनांक 17.6.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार खण्डार से संबंधित है जिसके संबंध में तहसीलदार खण्डार के पत्रांक एलआर/21/1699 दिनांक 17.6.2021 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार खण्डार के कार्यालय से होने के कारण उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार खण्डार को अन्तरित किया जाने पर तहसीलदार खण्डार द्वारा अपने पत्रांक एलआर/2921/1699 दिनांक 17.6.2021 द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा चुका है। चूंकि चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.22 16:36:11 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर